



## सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

### प्रलिस के लयः

[सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना](#), [संसद सदस्य](#), [अनुसूचलत जातल](#), [अनुसूचलत जनजातल](#), [महातमा गांधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना](#), [खेलो इंडया](#), [नयलतरक एवं महालेखा परीक्षक](#), [भारत का सर्वोच्च नयायालय](#)

### मेन्स के लयः

शक्तयलं का पृथक्करण, MPLADS योजना का महत्त्व और संबधतल मुददे ।

[सरोतः बजनेस स्टैण्डर्ड](#)

## चर्चा में कयलं?

[सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना \(MPLADS\)](#) भारत में एक बहस का वषय है इसके समर्थक इसके स्थानीय [सशक्तीकरण लाभलं](#) का हवाला देते रहे हैं जबकल इसके आलोचक संबधतल संवैधानकल सलदधलंतलं के साथ परयोजना कल जवाबदेही पर चतल वयक्त कर रहे हैं ।

- अधुरी परयोजनालं कल हालया रपलरटलं और अधकल धनराशकल मांग से MPLADS कल नगरलनी एवं जवाबदेहलतल के संदर्भ में बहस को बढ़ावा मलला है ।

## MPLADS क्या है?

- परचयः** MPLADS वर्ष 1993 में शुरू कल गई एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जो संसद सदस्यलं (MP) को स्थानीय स्तर पर आवश्यक टकलक सामुदायक परसंपत्तयलं के नरलमाण पर बल देते हुए अपने नरलवाचन क्षेत्रलं में वकलस कार्यलं कल सफलरशल करने में सकषम बनातल है ।
- कार्यानवयनः** राज्य स्तरीय नोडल वभलग MPLADS कल देखरेख करता है जबकल जलला प्राधकलरण संबधतल परयोजनालं को मंजूरी देने के साथ धन आवंटतल करते हैं और इनका कार्यानवयन सुनशलचतल करते हैं ।
- नधल आवंटनः** वर्ष 2011-12 से परत्येक सांसद को परतल वर्ष 5 करोड रुपए आवंटतल कयल जाते हैं । [सांख्यकल और कार्यक्रम कार्यानवयन मंत्रालय \(MoSPI\)](#) दवारा जलला प्राधकलरण को 2.5 करोड रुपए कल दो कसलतलं में नधल वलतरतल कल जातल है ।
- नधल कल प्रकृतलः** यह नधलयलं वयपगत नहीं होतल है और यदकलसल वर्ष में उनका उपयलग नहीं कयल जातल है तो उन्हें आगे अंतरतल कयल जातल है । सांसदलं को अपने कोष का न्यूनतम 15% और 7.5% क्रमशः [अनुसूचतल जातयलं \(SCs\)](#) और [अनुसूचतल जनजातयलं \(STs\)](#) के हतल में परसंपत्तयलं के नरलमाण में आवंटतल करना चाहयल ।
- वशलष प्रावधानः** सांसद राषट्रीय एकता को बढ़ावा देने वलली परयोजनालं के लयल अपने नरलवाचन क्षेत्र या राज्य से बाहर 25 लाख रुपए वार्षकल तक आवंटतल कर सकते हैं । गंभीर प्राकृतकल आपदालं के लयल सांसद भारत में कही भी परयोजनालं के लयल 1 करोड रुपए तक आवंटतल कर सकते हैं ।
- MPLADS के अंतरगत पात्र परयोजनालंः** MPLADS नधल को टकलक परसंपत्तल नरलमाण के क्रम में [महातमा गांधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना \(MGNREGS\)](#) के साथ एकलकृत कयल जा सकता है तथा खेल अवसंरचना वकलस के लयल इसे [खेलो इंडया कार्यक्रम](#) के साथ एकलकृत कयल जा सकता है ।
- सामाजकल कलयाण में संलग्न पंजीकृत सोसाइटयलं या ट्रस्टलं के स्वामतलव वलली भूमल पर कम से कम तीन वर्षलं तक बुनयादी ढाँचे के समर्थन कल अनुमतल है** लेकनल उन सोसाइटयलं के लयल यह नषलदध है जहाँ सांसद या उनके परवलार के सदस्य पदाधकलरी हैं ।

## MPLADS के पक्ष और वपकष में मुख्य तरक क्या हैं?

- आलोचनालंः**
  - संवैधानकल सलदधलंतलं का उल्लंघनः आलोचकलं का तरक है कल MPLADS से वधलयकलं को कारयकारी शक्तल मललने सेशक्तयलं के पृथक्करण का उल्लंघन होता है ।

- सांसद केवल परियोजनाओं की सफ़ारिश करने का दावा करते हैं लेकिन इसमें चिंता यह है कज़िली प्राधिकारी शायद ही कभी सांसदों की सफ़ारिशों की अवहेलना करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन में जवाबदेही और शक्तियों के पृथक्करण पर सवाल उठते हैं।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) (2005)** ने इस योजना को समाप्त करने की सफ़ारिश की थी, जिसमें वधायिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने तथा स्थानीय सरकारों के अधिकारों का उल्लंघन करने की समस्या पर प्रकाश डाला गया था।
- **जवाबदेही का अभाव:** इससे संबंधित चिंताओं में अपर्याप्त नगिरानी और मूल्यांकन तंत्र शामिल हैं, जिसके कारण सार्वजनिक धन का दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है।
  - इसमें आरोप लगाया जाता है कि सांसद इन नधियों का उपयोग अपने संबंधी ठेकेदारों या यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को लाभ पहुँचाने के लिये करते हैं।
  - MPLADS योजना किसी भी वैधानिक कानून द्वारा शासित नहीं है, जिससे इससे संबंधित नियमों और वनियमों को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **राजनीतिक दुरुपयोग:** रिपोर्टों से पता चलता है कि धन के उपयोग की जाँच अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित (वर्षीय रूप से चुनाव के दौरान) होती है।
- **MPLADS में समस्याएँ: नयित्तरक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)** ने इस योजना के क्रयान्वयन में कई कमियाँ बताई हैं:
  - एमपीएलएडी के अंतर्गत नधियों का प्रायः पूरा उपयोग नहीं हो पाता है तथा इनकी उपयोग दर 49% से 90% तक होती है।
  - नई परसिपत्तियों के निर्माण के लिये धन उपलब्ध कराने के स्थान पर धन का एक प्रमुख हस्तिा मौजूदा परसिपत्तियों के सुधार के लिये उपयोग किया जाता है।
  - कार्य आदेश जारी करने में देरी और खराब रिकॉर्ड रखने से समस्या और जटिल हो जाती है, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही को लेकर चिंताओं में वृद्धि हुई है।
- **पक्ष में तर्क:**
  - **स्थानीय विकास पर ध्यान:** इसके समर्थकों (मुख्य रूप से नरिवाचति प्रतनिधियों) का मानना है कि MPLADS स्थानीय विकास के लिये एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, जिससे सांसदों को अपने समुदायों की आवश्यकताओं पर सीधे प्रतिक्रिया करने की शक्ति मिलती है।
    - **परियोजना चयन में लचीलापन:** नरिवाचति प्रतनिधियों का तर्क है कि MPLADS से उन परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को समर्थन मिलता है जो स्थानीय प्राथमिकताओं को प्रतबिबिति करती हैं।
  - **आवंटन में वृद्धि की मांग:** कुछ सांसद MPLADS नधि में वृद्धि की वकालत कर रहे हैं, उनका तर्क है कि वर्तमान प्रत वियक्ता आवंटन छोटी आबादी के लिये वधिानसभा के सदस्यों को मिलने वाले आवंटन से कम है।
  - यह माना जा रहा है कि इस वृद्धि से बड़े सांसद नरिवाचन क्षेत्रों में अधिक समान विकास संभव हो सकेगा तथा वधायकों को उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।

## MPLADS पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- वर्ष 2010 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने इस योजना को संवैधानिक माना तथा MPLADS को वैध ठहराया, साथ ही इस बात पर बल दिया कि सांसद केवल परियोजनाओं की सफ़ारिश करते हैं, जिन्हें ज़िला अधिकारियों द्वारा क्रयान्वति किया जाता है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस योजना ने स्थानीय समुदायों के लिये सकारात्मक योगदान दिया है तथा इसके तहत जल सुवधिाएँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनयिादी ढाँचे जैसे आवश्यक विकास कार्यों को वतितपोषति किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार वनियोग वधियक (**भारतीय संवधिान के अनुच्छेद 282**) के माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिये धन आवंटति कर सकती है, जिससे MPLADS योजना राज्य की नीति के नरिदेशक सदिधांतों (अनुच्छेद 38) के तहत सार्वजनिक उद्देश्य के हस्तिे के रूप में वैध हो जाती है।

## MPLADS की नगिरानी कतिनी प्रभावी है?

- **तृतीय-पक्ष मूल्यांकन:** सरकार ने तृतीय-पक्ष नगिरानी के माध्यम से MPLADS का मूल्यांकन करने पर बल दिया है। **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास परामर्श सेवा बैंक (NABCONS)** और **कृषि वित्त नगिम (AFC)** लमिटिड जैसे संगठनों ने कुछ सकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला है, जैसे कि अच्छी गुणवत्ता वाली संपत्ति निर्माण और वकिेंद्रीकृत विकास।
  - हालांकि तीसरे पक्ष के मूल्यांकन में भी अनयिमतिताएँ सामने आई हैं जैसे **अयोग्य कार्यों की मंजूरी, परसिपत्तियों पर अतिक्रमण, कुछ परसिपत्तियों का असततिव न होना**, परसिपत्तियों के उपयोग में असंतुलन, वतिततीय मंजूरी और कार्यों के पूरा होने में देरी तथा अयोग्य टरस्टों/सोसायटियों को कार्य सौपना।
- **MPLADS की नगिरानी में प्रमुख समस्याएँ:** तीसरे पक्ष द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन में अक्सर देरी होती है जिससे परियोजना के क्रयान्वयन के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई में समस्या आती है।
  - अपर्याप्त जाँच और **अनयिमतिताओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव से** धन के दुरुपयोग को बढ़ावा मिलता है।
  - अपारदर्शी प्रक्रियाओं, अपारदर्शी नधिा उपयोग से डेटा तक सीमति सार्वजनिक पहुँच के साथ जाँच में बाधा आती है।
  - प्रत्येक सांसद के पास पछिले 10 वर्षों के दौरान नधिा के उपयोग का सटीक वविरण है लेकिन यह जानकारी पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है।

## क्या MPLADS में सुधार या समाप्तकी आवश्यकता है?

### ■ सुधार के पक्ष में तर्क:

- MPLADS में सुधार के लिये इसे वैधानिक समर्थन देना और एक स्वतंत्र नगिरानी निकाय की स्थापना करना शामिल हो सकता है। इससे बेहतर प्रशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी तथा दुरुपयोग और अक्षमता से संबंधित चिंताओं का समाधान होगा।
  - टेकेदारों के चयन के लिये खुली नविदा का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये CAG प्रतिनिधि मौजूद हों।
- इसमें ऐसे सुधार हो सकते हैं जो MGNREGS और प्रधानमंत्री-जनजाति आदवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) योजना जैसी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ बेहतर एकीकरण को संभव बना सकें ताकि धन का प्रभावी उपयोग हो सके।
- वर्तमान योजना से सांसदों को वभिन्न परियोजनाओं के लिये धन उपलब्ध होता है लेकिन इसके तहत सुधारों में स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के क्रम में हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये कल्याणकारी पहलों पर बल दिया जा सकता है।

### ■ उन्मूलन के पक्ष में तर्क:

- MPLADS को समाप्त करने से धनराशि सीधे स्थानीय सरकारों (पंचायतों, नगर पालिकाओं) को दी जा सकेगी, जो समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और उनका समाधान करने की बेहतर स्थिति में होंगी।
- कई लोगों का तर्क है कि मौजूदा सरकारी योजनाएँ पहले से ही स्थानीय विकास आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, तथा MPLADS को समाप्त करने से सांसदों का बेहतर उपयोग हो सकेगा साथ ही पर्याप्तों के दोहराव को रोका जा सकेगा।
- कमज़ोर वनियमन के कारण धन का दुरुपयोग और असमान वितरण से भ्रष्टाचार तथा अक्षमता की संभावना बढ़ गई है।

## नष्कर्ष

- MPLADS के विकास उद्देश्यों को मज़बूत जवाबदेही तंत्र के साथ संतुलित करना इसके भविष्य को निर्धारित कर सकता है। इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिये सुधार पर्याप्त होंगे या इसके उन्मूलन जैसे अधिक कठोर उपायों की आवश्यकता होगी, यह भारत के लोकतांत्रिक शासन में बहस का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

????? ???? ???? ????:

प्रश्न: MPLADS योजना से संबंधित मुद्दे क्या हैं? इससे शक्तियों के पृथक्करण को किस प्रकार चुनौती मिलती है?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????? ???? ????:

प्रश्न. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के अंतर्गत नधियों के संदर्भ में नमिनलखित कथनों में से कौन-से सही हैं? (2020)

1. MPLADS नधियों टिकाऊ परसिपतियों जैसे- स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं।
2. प्रत्येक सांसद की नधि का एक नश्चित अंश अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है।
3. MPLADS नधियों वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त नधि को अगले वर्ष के लिये अग्रेषति नहीं किया जा सकता।
4. कार्यान्वति हो रहे सभी कार्यों में से कम-से-कम 10% कार्यों का ज़िला प्राधिकारी द्वारा प्रतविरष नरीक्षण करना अनविर्य है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 1, 2 और 4

उत्तर: (d)